पंजीकृत संख्या 72/54–55 || वन्दे मातरम्|| Tel. 0141-2377799
Website: www.rssrashtriya.org Email: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302 001

क्रमांक : दिनांकः 31.05.2016

ज्ञापन का प्रारूप

माननीया मुख्यमंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

माध्यमः – श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जिला.....।

विषयः– माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष शिक्षकों के समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित काउन्सलिंग प्रक्रिया में रही विसंगतियों के संबंध में ज्ञापन।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान में राज्य के समस्त जिलों में सरकार के निर्देशानुसार अधिशेष अध्यापकों की पदस्थापन/समायोजन प्रक्रिया काउन्सलिंग के माध्यम से हो रही थी। इस प्रक्रिया में अनेक नीतिगत एवं व्यवहारिक विसंगतियों की जानकारी संगठन को प्राप्त हो रही है। इन विसंगतियों के कारण ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रक्रिया पर स्थगन दिया गया है। विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी की गई सूचियों में कार्यालय स्तर पर वरियता एवं रिक्त स्थानों की जानकारियों में अनेक अनियमितता रखी जा रही है। जिसके संबंध में समय पर परिवेदना देने पर भी इन परिवेदनाओं की अनदेखी कर काउन्सलिंग की जा रही है। आपके निर्देशानुसार बनायी गई स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उल्लेखित वरियता के नियमों को भी मनमाने ढंग से काउन्सलिंग में परिवर्तन किया गया है।

काउन्सलिंग की इस प्रक्रिया के कारण शिक्षकों में तीव्र असंतोष है शिक्षकों के असंतोष एवं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संगठन द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार आज दिनांक 31/05/2016 को..... ..... जिले के शिक्षक धरना व प्रदर्शन कर, ज्ञापन देकर आपसे अनुरोध करते है कि काउन्सलिंग हेतु जारी की गई सूचियों का प्रकाशन कम से कम सात दिन पूर्व किया जाकर संबंधित शिक्षकों से प्राप्त परिवेदनाओं का निष्पादन कर तथा संगठन द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित सुझावों को सम्मिलित करने के पश्चात् ही काउन्सलिंग प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये।

संलग्नः– संगठन द्वारा काउन्सलिंग प्रक्रिया के संबंध में दिये गये सुझावों के पत्र की प्रति।

जिलाध्यक्ष
जिला.....

जिलामंत्री
जिला.....

(उक्त ज्ञापन को अपने जिले के लैटर पैड पर मुद्रित करा कर तथा मुख्यमंत्री/शिक्षामंत्री के नाम वाले पत्र को संलग्न कर ज्ञापन देवें।)

पंजीकृत संख्या 72/54–55 || वन्दे मातरम् || Tel. 0141-2377799
Website: www.rssrashtriya.org Email: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302 001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, उमराव लाल वर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I.) & राज. राज्य कर्मचारी महासंघ

प्रहलाद शर्मा	रामावतार शर्मा	देव लाल गोचर
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	महामंत्री
मो. 9414056109	मो. 9166616080	मो. 9414403756

क्रमांक : 783 दिनांक : 25.05.2016

माननीया मुख्यमंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अधिशेष अध्यापक लेवल–1 व लेवल–2 (विषयवार) के पदस्थापन हेतु आयोजित काउन्सलिंग की सूचियों एवं प्रक्रिया में रही विसंगतियों के क्रम में।

संदर्भः– शिक्षा (ग्रुप–2) के आदेश क्रमांक प.17(2)शिक्षा–2/2003 दिनांक : 08–05–2016 एवं प.17(2)शिक्षा–2/2003 दिनांक : 09–05–2016 के क्रम में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भ एवं विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान में राज्य के समस्त जिलों में सरकार के निर्देशानुसार अध्यापकों की पदस्थापन/समायोजन प्रक्रिया काउन्सलिंग के माध्यम से हो रही थी। इस प्रक्रिया में अनेक नीतिगत एवं व्यवहारिक विसंगतियों की जानकारी संगठन को प्राप्त हो रही है। इन विसंगतियों के कारण ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रक्रिया पर स्थगन दिया गया है। इस सम्बन्ध में संगठन का आग्रह है कि :–

1. उक्त सन्दर्भित पत्रों में वर्णित निर्देशों के अनुसार अधिशेष अध्यापकों का निर्धारण एवं 6–डी में अध्यापकों का चयन सही तरीके से नहीं किया गया है।
2. उक्त प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व वर्ष 2016–17 की पदोन्नति तथा प्रारम्भिक शिक्षा के प्रस्तावित एकीकरण और स्टाफिंग पैटर्न की प्रक्रिया पूर्ण करना उचित रहेगा जिससे अल्प अवधि में शिक्षकों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा तथा वर्तमान समायोजन/पदस्थापन की प्रक्रिया से बडी संख्या में शिक्षकों को नहीं गुजरना पडेगा।
3. उक्त प्रक्रिया की क्रियान्विति के समय माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों को उनके विद्यालय में उपलब्ध पद **{लेवल–1 व लेवल–2 (विषयवार)}** पर सर्वप्रथम इसी विद्यालय में समायोजित किया जाना चाहिए। यदि विद्यालय में क्रमोन्नति/समन्वय/6–डी में चयन से किसी विषय में स्वीकृत पद से अधिक अध्यापक हों तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों को वरीयता दी जाए।

4. माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों को उनके विद्यालय में उपलब्ध पद **{लेवल–1 व लेवल–2 (विषयवार)}** पर समायोजित किये जाने के पश्चात अधिशेष अध्यापकों को अन्य माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध पदों पर समायोजित किया जाए। तत्पश्चात क्रमोन्नति/ समन्वय/6–डी में चयन से उपलब्ध अध्यापकों का समायोजन किया जाए।
5. जिन शिक्षकों ने बी.एस.टी.सी. एवं बी.एड. दोनों योग्यताएँ अर्जित कर रखी हैं, उनकी बी.एस.टी.सी. की योग्यता के आधार पर उन्हें लेवल –1 में माना जाना चाहिए। लेवल –1 के अध्यापकों की अधिक आवश्यकता के कारण यह उपयुक्त रहेगा।
6. पदस्थापन के लिए वरीयता सूची में दिव्यांग, गम्भीर रोग से ग्रसित तथा महिलाओं को वरीयता देने से विभाग में भारी असंतुलन उत्पन्न हो गया है। इस सम्बन्ध में संगठन का सुझाव है कि वरीयता सूची में दिव्यांग व आश्रित दिव्यांग, गम्भीर रोग में कैन्सर तथा ब्रेन ट्यूमर के अतिरिक्त किडनी प्रत्यारोपण, हृदय रोग व अन्य गम्भीर रोग अध्यापक एवं दिव्यांग तथा गम्भीर रोग से ग्रसित पति/पत्नी व पुत्र–पुत्री वाले अध्यापकों को वरीयता देनी चाहिए।
7. शेष बचे अध्यापकों को वर्षवार वरीयता सूची तैयार करके पदस्थापित किया जाना चाहिए। वर्ष का निर्धारण नियुक्ति तिथि से किया जाए। वरीयता सूची में महिलाओं को वरीयता देने का प्रावधान हो।
8. अधिशेष एवं 6–डी की चयन सूचियाँ तैयार करते समय कई शिक्षकों की नियुक्ति तिथि तथा विषयों में हेराफेरी की गई है। इन गलतियों को दुरस्त करते हुए सूचियों को पुनः प्रकाशित किया जाए जिनमें अध्यापकों की नियुक्ति तिथि का उल्लेख हो। साथ ही गलत सूचियाँ तैयार करने वाले अधिकारियों/कार्मिकों की जिम्मेदारी तय करके उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए।
9. पुनः प्रकाशित होने वाली सूचियों पर सम्बन्धित शिक्षकों को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना जाना चाहिए।
10. जिन अध्यापको की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय है उन्हें इस प्रक्रिया में अधिशेष नहीं माना जाए।

श्रीमान से अनुरोध है कि संगठन के उक्त सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर काउन्सलिंग प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाने का कष्ट करें।

भवदीय

(देवलाल गोचर)
महामंत्री